न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ~~[illegible]~~ म0प्र0

पु.क्र. /2012 पुनर्विलोकन

लालमणि पुत्र रामाधार सिंह निवासी ग्राम लोलाछ तहसील रामपुर बाघेला हाल कोटर जिला सतना म0प्र0

--- पुनरावलोकनकर्ता

पुनरावलोकन 2882-I/12

बनाम

1. गुलाब सिंह तनय रामाधार सिंह
2. रामाश्रय तनय रामदेव सिंह
3. उदयप्रताप सिंह तनय रामाश्रय सिंह
4. गया प्रताप सिंह तनय रामाश्रय सिंह
5. ललु सिंह तनय रामाश्रय सिंह सभी निवासी ग्राम लोलाछ तह0 रामपुर बाघेलान हाल तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0

-- गैर पुनर्विलोकनकर्तागण

श्री मुकेश भार्गव एडवो
द्वारा आज दि. 3-9-12 को
प्रस्तुत
3-9-12
रीडर/क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरावलोकन माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर नि0 प्र0 क्र0 490 तीन/2008 पारित आदेश दिनांक 15.12.2011

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मुकेश भार्गव
3-9-12 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

पुनर्विलोकन का संक्षिप्त तथ्य :-

(क) यह कि आराजी खसरा क्रमांक 735/1.42एकड़, 736/0.86 ए0, कुल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2882–एक/12 **जिला** –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.16	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 490–तीन/08 में पारित आदेश दिनांक 15.12.11 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2882–एक/12 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 490–तीन/08 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.12.11 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 2882–एक/12 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

3.9.16

(के0 सी0 जैन)
सदस्य